झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

सं०सं०–8 / ज०सं०(नि०)ल०सि०राँची–01 / 2013ः–.. / राँची, दिनांक–..................................

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री फुलेश्वर ठाकुर ने जबकि वे कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित थे घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री फुलेश्वर ठाकुर, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम–55 के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2– श्री फुलेश्वर ठाकुर, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान मुख्य अभियंता, जल संसाधन (जलपथ), राँची के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3– उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, चाईबासा कार्यालय द्वारा नामित सहायक अभियंता स्तर के पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4–प्रस्ताव पर सचिव की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथः–मुख्य अभियंता, जल संसाधन (जलपथ), राँची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, चाईबासा / श्री फुलेश्वर ठाकुर, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह० / –

(डॉ०लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– / राँची, दिनांक – /

प्रतिलिपिः–अनुबंध की प्रति के साथ–मुख्य अभियंता, जल संसाधन (जलपथ), राँची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, चाईबासा / श्री फुलेश्वर ठाकुर, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेंगे साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेंगे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख / कागजात देखना चाहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

ह0 / –

(डॉ०लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 2797 / राँची, दिनांकः– 26-8-14

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–3), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / उप सचिव (अभि०)–सह–नोडल पदाधिकारी / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ०लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।